# दिनांक 08.02.2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज के द्वारा टैक्शेसन से संबंधित समर्पित ज्ञापन

जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागु होने के उपरांत राज्य स्तर पर लगाये जाने वाले कर यथा वैट, इन्ट्री टैक्स एवं केन्द्र स्तर पर लगाये जाने वाले कर यथा सर्विस कर, एक्साईज डियुटी इत्यादि का जीएसटी में समावेश हो गया है एवं जीएसटी से जुड़े मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी कॉउन्सिल के द्वारा निर्णय लिया जाता है फिर भी व्यवसायियों एवं उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को बिहार चैम्बर आपके माध्यम से अपनी बातों को एवं सुझावों को रखते रहा है। इसी दिशा में जीएसटी से संबंधित हम अपनी बातें एक अगल ज्ञापन के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहेंगे जो कि संलग्न है ।

1. **CNG पर वैट की दर**

वर्त्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद यथा पेट्रोल,डिजल, सीएनजी इत्यादि जीएसटी के दायरे से बाहर है और इसी से संबंधित हमारा एक सुझाव सीएनजी पर वैट की दर को लेकर है :–

बढते प्रदुषण की बेलगाम वृद्धि की रोकथाम एवं पर्यावरण हित में देश भर में CNG के व्यवहार हेतु प्रश्रय दिया जा रहा है एवं इसके अच्छे परिणाम भी देखने में आ रहे है।

हमारे प्रांत में भी सरकार ने CNG Pump की स्थापना एवं CNG Vehicle के अधिकाधिक उपयोग में लाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ हैं। लेकिन इस संदर्भ में हम सरकार का ध्यान बिहार में CNG पर लागू वैट की दर की तरफ आकर्षित करना चाहते है। बिहार में वर्त्तमान में CNG पर 20% वैट दर देय होता है जो कि देश के कई अन्य राज्यों में लागू दर से काफी अधिक है। उदाहरण के लिए दिल्ली में CNG पर कोई वैट नही लगता है जबकि गुजरात में 12.8% महाराष्ट्र में 13.5% कर्नाटक में 14.5% दर लगता है।

हमारा सुझाव होगा कि CNG पर वैट की दर को minimum percent किया जाना चाहिए ताकि CNG पर effect लागत कम हो और इसके उपयोग को अधिकाधिक प्रश्रय मिले।

2. **निर्मित भवन (अचल संपति) के निबंधन हेतु मूल्यांकन रकम के निर्धारण संबंधित**

सरकार द्वारा अचल संपति के निबंधन हेतु निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू) की अलग–अलग लोकेशन/क्षेत्र के अनुरूप भिन्न–भिन्न सर्किल रेट निर्धारित की जाती है।

वर्त्तमान नियमों के तहत किसी भी निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों के लिए) के निबंधन हेतु उस भवन की लोकेशन के आधार पर सर्किल रेट से मुल्यांकन किया जाता है और साथ में भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी की लागत अलग से जोड़ी जाती है। इस तरह एक बार भूमि की लागत निर्मित भवन की सर्किल रेट में सम्मिलित हो जाती है और दूसरी बार भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में दूबारा जुड़ जाती है।

**क्रमशः.....2**

विगत वर्षो में सर्किल रेट में कई–कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशत: किसी भी अचल निर्मित संपति के निबंधन हेतु मुल्याकंन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है।

देश भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नही है जब कि भूमि की लागत अलग से जोड़ी जाती हो। यद्यपि अनुपातिक हिस्सेदारी पर भी क्रेता का पूरा अधिकार होता है ।

हमारा सुझाव होगा कि भूमि पर क्रेता को अनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मुल्यांकन रकम में अलग से नही जोड़ा जाना चाहिए। यह एक गंभीर मसला है जो कि काफी समय से चला आ रहा है लेकिन पूर्व में सर्किल रेट कम होने की वजह से इसका दुष्प्रभाव विशेष नही झेलना पड़ता था। लेकिन धीर–धीरे सर्किल रेट में बृद्धि होने के बाद आज निबंधन हेतु मुल्यांकन की रकम भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी को अलग से जोड़ने की वजह से वास्तविक लेन–देन की राशि से अधिक हो जा रहा है। इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की नितांत आवश्यकता है।

3. **बिहार कराधान समाधान योजना 2020 :-** वैट, प्रवेश कर, केन्द्रीय कर के पुराने लंवित मामलो के निपटारे हेतु हमारे बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने स्वीकार किया एवं बिहार कराधान समाधान योजना 2020 लागु की जिसके लिये हम सरकार के बहुत–बहुत आभारी हैं।

उक्त योजना के अन्तगर्त कर दाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जब वे टैक्स का मात्र 35% एवं ब्याज, विलंब शुल्क एवं अर्थ दण्ड का 10% भूगतान करके अपने मामले का निपटारा करवा सकते हैं। इस योजना के प्रचार एवं प्रसार हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सभी लोगों को योजना की जानकारी हो एवं वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें।

एक सुझाव हम और भी देना चाहेंगे कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा सभी विवादित, लंबित मामलों की एक सूची तैयार करके सभी संबंधित व्यवसायियों को उनके ईमेल के माध्यम से विवादित मांग की रकम का हवाला देते हुए इस योजना की जानकारी दी जाये ताकि वे सभी व्यवसायीगण अपने मामलों को निपटाने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करें और उन्हें विभाग की तरफ से किसी तरह की शिकायत भी ना रहे।

4. **DIN (Document Identification Number) :-** ऐसा देखने में आता है कि सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्गत पत्र/आदेश/ ईमेल पर बहुत बार किसी तरह का क्रम संख्या न रहने की वजह से उन डाक्युमेन्ट की प्रमाणिकता पर बहुत बार प्रश्न उठता है एवं उन डाक्युमेन्टस को संबंधित विभाग में ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसी असुविधा को देखते हुए आयकर एवं जीएसटी में यह निर्देश दिया गया है कि हर डाक्युमेन्ट एक युनिक क्रम संख्या के साथ ही जारी किया जायेगा।

इसी तरह का निर्देश राज्यस्तर पर भी हरेक विभाग में लागु किया जाना चाहिए।

**स्थान – पटना**
**दिनांक – 08.02.2020**